

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-9  
संख्या-1370/दो-9-2018-8(20)/2014  
लखनऊ : दिनांक : 11 जून, 2018  
कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 एवं प्रथम संशोधन नियमावली 2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री सुभाष चन्द्र दीक्षित, से0नि0, विशेष सचिव कार्मिक विभाग को उनकी स्वयं की एवं उनकी पत्नी श्रीमती रमा दीक्षित की दिनांक 19.08.2017 से 08.01.2018 तक एवं दिनांक 06.11.2017 से 18.12.2017 तक डा0 पीयूष खेरा, कार्डिक केयर क्लीनिक से एवं डा0 शोभित कक्कर, आई सर्जन, लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष क्रमशः धनराशि रू0-16,315/- एवं रू0-35,590/- अर्थात् कुल रू0-51,905/- (रूपये इक्यावन हजार नौ सौ पांच मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-62 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402 दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- श्री सुभाष चन्द्र दीक्षित, से0नि0, विशेष सचिव कार्मिक विभाग का भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा लखनऊ में खाता संख्या-10223035684 आई.एफ.एस.कोड. -एस0बी0आई0एन0-0006893 पी.पी.ओ.संख्या-पी-026/501/004224 है। श्री दीक्षित कोषागार जवाहर भवन लखनऊ से पेंशन आहरित करते हैं।

अनिता श्रीवास्तव  
विशेष सचिव।

संख्या-1370(1)/दो-9-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. नियुक्ति (लेखा) को अतिरिक्त प्रति एवं मूल चिकित्सा बाउचर्स सहित
3. कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
4. श्री सुभाष चन्द्र दीक्षित, से0नि0, विशेष सचिव, 270/17, गंगा भवन, विरहाना, लखनऊ-226004
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
- ✓ 7. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक : यथोक्त ।

आज्ञा से,  
*निश्वनाथ दुबे*  
( विश्वनाथ दुबे )  
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-9  
संख्या-1030/दो-9-2018-53(16)/2018  
लखनऊ : दिनांक : ~~मई~~ 2018  
॥ ०२०

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 में प्रथम संशोधन नियमावली-2014, दिनांक 04.03.2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री एम0पी0 सिंह, (पी0सी0एस0), नगर मजिस्ट्रेट मेरठ को उनके पिता श्री राम लाल सिंह की दिनांक 23.02.2018 से 03.03.2018 तक डा0 राजेश चावला, इन्द्रप्रस्थ अपोलो हास्पिटल, नई दिल्ली से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष धनराशि रू0-4,04,448/- (रूपये चार लाख चार हजार चार सौ अड़तालीस मात्र) का भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत बिल वाउचर्स का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे श्री एम0पी0 सिंह, (पी0सी0एस0), नगर मजिस्ट्रेट मेरठ का वेतन आहरित किया जाता है।

अनिता श्रीवास्तव  
विशेष सचिव।

संख्या-1030(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

पंजीकृत

- (1) जिलाधिकारी, मेरठ को मूल बिल/वाउचर्स सहित।
- (2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी मेरठ।
- (4) श्री एम0पी0 सिंह, (पी0सी0एस0), नगर मजिस्ट्रेट मेरठ।
- (5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (6) अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
- (7) कम्प्यूटर प्रोग्रामर नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक:- यथोक्त।

आज्ञा से,  
विश्वनाथ दुबे  
( विश्वनाथ दुबे )  
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-9  
संख्या-1313/दो-9-2018-53(28)/2016  
लखनऊ: दिनांक: 11 जून, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 के प्रथम संशोधन नियमावली 2014 दिनांक-04-03-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री ब्रह्मानन्द, (से0नि0), पी0सी0एस0 को उनके स्वयं की दिनांक 21.10.2017 से 12.03.2018 तक डा0 अरुण श्रीवास्तव, लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष धनराशि रु0-57,645/- (रूपये सत्तावन हजार छः सौ पैतालीस मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-62 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402- दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।


3- श्री ब्रह्मानन्द, से0नि0, पी0सी0एस0 का भारतीय स्टेट बैंक, श्रृंगार नगर आलमबाग शाखा लखनऊ में खाता संख्या-MSB10178588947 तथा आई0एफ0एस0 कोड-एस0बी0आई0एन0-0003222 है। इनका पी0पी0ओ0 संख्या-पी-001/136/068583 है। श्री ब्रह्मानन्द जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ से पेंशन आहरित करते हैं।

अनिता श्रीवास्तव  
विशेष सचिव

संख्या-1313(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
3. नियुक्ति लेखा अनुभाग को दो प्रतियों में मूल बिल/वाउचर्स सहित।
4. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1
5. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
6. श्री ब्रह्मानन्द, (सेवानिवृत्त), पी0सी0एस0, ए0-1433, सेक्टर आई0, एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ
7. कम्प्यूटर प्रोग्रामर नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेत।

आज्ञा से,  
  
( विश्वनाथ दुबे )  
अनु सचिव